

5616

10/7/2020



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FH 262455



### ट्रस्ट डीड-न्यास पत्र

यह जलिलख आज़ दिनांक 28.03.2020 को रोहित वर्मा पुत्र श्री पारसनाथ वर्मा निवासी- फ़ोन-4/8, सेक्टर-109, ज्ञानकीपुरम, सरखलक द्वारा विधिवत किया गया है।

- 1. ट्रस्ट का नाम :- गणेशि आनंदेशन
- 2. ट्रस्ट का पता :- फ़ोन-4/8, सेक्टर-109, ज्ञानकीपुरम, सरखलक।
- 3. ट्रस्ट में अंशदाय किया धन

ट्रस्ट में अंशदाय गया धन (10000 रुपये) (दुसरा ख़त) नरेंद्र धर्मशक्ति को रोहित वर्मा पुत्र श्री पारसनाथ वर्मा द्वारा ट्रस्ट के लिये समर्पित की गयी है। भारतीय न्याय अधिनियम के अनुसार एक ऐसा आभार है जो समर्पित की स्थिति को ज़बरदस्त होता है। जिस समर्पित का स्वामी स्वीकार करता है अपना अधिकार एवं स्वीकार करता है समर्पित की स्थायी इस प्रकार का आभार अन्य व्यक्तियों को दित करता लाभ को स्वीकार करता।

4. ट्रस्ट के तत्व  
दुसरे ट्रस्टी/समर्पित/अंशदाय द्वारा ट्रस्ट का गठन निम्न तर्कों पर आधारित है। ट्रस्ट एक प्रकार का आभार है। आभार का समर्पित से प्राप्त होता स्वामित्व से ज़बरदस्त होता



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FM 262457

है। ट्रस्ट का उद्देश्य विशाल से होता है और उल्टे ट्रस्ट के लिए शिफारशी का होना आवश्यक होता है। ट्रस्ट का समझौता अपनी सम्पत्ति प्रदान करने सम्पत्ति में शामिल के आगम का आकड़ करेगा। इस प्रकार ट्रस्ट में आमतौर ट्रस्टी सम्पत्ति तथा सम्पत्ति के स्वामी द्वारा विद्यमान पूर्णक आगम की प्रतिबन्धित है।

**बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज -**

1- न्याय की शक्तों के समस्त रूप मुक्ति प्राप्त ट्रस्ट के निम्न ट्रस्टी होने लिये बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सम्पत्ति प्रकल्पितिका का जर्जिया जो ट्रस्ट द्वारा समस्त प्रतिबन्धों को संश्लिष्ट एवं नियंत्रित करेगा। न्यायिक व्यक्तियों का विवरण निम्न है -

1	श्री रोहित वर्मा पुत्र श्री प्रकाश लाल वर्मा	मुख्य ट्रस्टी / ट्रस्टी/सह-ट्रस्टी / प्रमुख / प्रमुख / संभालक ट्रस्टी
2	श्री प्रवीण कुमार चौधरी	ट्रस्टी / सदस्य
3	श्री लखेन्द्र प्रसाद वर्मा	ट्रस्टी / सदस्य
4	श्रीमती विनीता कुमारी	ट्रस्टी / सदस्य
5	श्री भारत लाल वर्मा	ट्रस्टी / सदस्य
6	श्री राजेश कुमार मिश्रा	ट्रस्टी / सदस्य
7	श्री अजीज अहमद	ट्रस्टी / सदस्य

2- यह कि नियमित ट्रस्टी/प्रमुख यदि अहित समझे तो किसी एक विचार विम 1 करने एवं समस्त प्रकल्प करने हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का समस्त कर सकता है। विचारों में अधिकतम इस्तीफा संभव होने।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FH-262456

12 12 20

3- यह कि नैतिक टुस्टी/प्रबंधक किसी भी व्यक्ति को टुस्टी सम्भाल करके समय परमा का कार्यवाही नकल करेगा। टुस्टी का कार्य जबकी नैतिक टुस्टी/प्रबंधक की इच्छा पर निर्भर करती।

4- यह नैतिक टुस्टी/प्रबंधक किसी भी व्यक्ति का कार्यवाही करना होने से पूर्व ही किना किसी को कोई करण याता टुस्टी के यह से करार होगा है।

5- यह कि नैतिक टुस्टी/प्रबंधक जब भी व्यक्ति समय दोबे बात टुस्टीज को देख कर जायजित कर सकता है। किनाही अवस्था नैतिक टुस्टी/प्रबंधक करार करेगा।

6- यह कि कोई बात टुस्टीज द्वारा किए गये किसी भी मुकाम को करना, स्वीकार करना कबल जायजित करण मुकाम नैतिक टुस्टी/प्रबंधक की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करेगा है। नैतिक टुस्टी/प्रबंधक से द्वारा किया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

**5. टुस्ट की मुख्य उद्देश्य**

टुस्ट का मुख्य उद्देश्य विना-विना स्थान पर प्रेषणी एवं विन्दी माध्यम की शिक्षण सहकार प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा स्वीछ भवविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय, सतीग सन्धान, विविधता शिक्षा, भौतिक कालेजी एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों आदि की स्थापना करना। राष्ट्रीय प्रस्तर में माध्यम व अग्रणीय वर्ग के सर्व-साथ पहिली को समर्त इन्वस्तुताय शिक्षा भुटेका करना। प्रौढ शिक्षा, अनीध्वरिक शिक्षा, व्यासायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व इंजीनियरिंग कालेजी को इन टुस्ट में समाविष्ट कर संभालन करना व जाय यकता पढ़ने पर अन्य-विक्षय व अन्य विद्या संस्थानों का आपसे में विलय करना व बीदा समय सम्भान, प्रविद्याय, सन्धान, उनीध संसाधनों की स्थापना व व्यवस्था करना तथा संयोजन करना, शिक्षा का क्षेत्र के कले-कले में प्रकाश फेले इसके लिए समस्त कार्य करना, संस्थाओं की स्थापना करना, धन शुल्क व पाठ्य सामग्री को



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FH 262455

11 1990

विशुद्ध शिक्षा को लिए ट्रस्ट द्वारा इस समस्त प्रयास करके ट्रस्ट गृहि बचन व पूजा की व्यवस्था कर देश के किलो वी स्थान पर शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करके शिक्षा को माध्यम से निर्धन, मध्यम व समाह को रहे सुखले लोगों को ज्ञान निर्धन बन जनता को लो लो की सेवा करता। लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करना एवं प्रत्यक्ष संसाधन करके खादी सामुदाय द्वारा कलाई एवं वस्त्रकारी हेतु अनुदान प्राप्त करना एवं वातावरण में लक्ष्य विकास विद्यालय, अनाथाश्रम, छात्रावास, शैक्षणिक शिबिर, अल्पसंख्यक व धार्मिक जाधन, पुस्तक जाधन आदि की स्थापना करना सामाजिक परिवार, अत्याचर, लड़करी, कल्याण-उद्यम, लक्ष्य आदि संस्थाओं को ब्योचना एवं सहायता करना, निर्धन वाम की स्थापना करना। ट्रस्ट की अन्य वी शिक्षा राजा व शैक्षणिक प्रशासन का काम जाधन व सन्ध-सुध ५५ आयुष्माननुसार सहायता करेगा। ट्रस्ट सरकारी, अर्द्धसरकारी गृहि ५५ शिक्षा व राज्य प्रशासन व राष्ट्रीय समन्वय स्थापित कर संस्थाकारी योजनाओं का भी सहायता करेगा। किसी निजी गृहि को बन-विक्रय करना तथा आयुष्माननुसार इस ट्रस्ट से संसाधित संस्था को लो (घण्टा) ५५ सेना। शैक्षणिक, आयुष्माननुसार, शैक्षणिक, शैक्षणिक आचार्य शैक्षणिक, आयुष्माननुसार।

पालीटिकली, इन्जीनियरिंग, फार्मेसी-एलोपैथिक, होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक व पुरानी चिकित्सा शास्त्रों को जेल, जो जेल, आयुष्माननुसार, सामान्य सेवा टकालीनी, स्पेसि, शैक्षणिक संस्था/रक्त विकसन विद्यालय की स्थापना तथा प्रवृत्त सहायता करना। उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त शैक्षणिक आचार्य एवं सामाजिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा सहायता करना। देश-विदेश से धन आदि प्राप्त करके एवं ट्रस्ट के माध्यम से खरी करना, ट्रस्ट के माध्यम से भविष्य में अन्य जो भी संस्थाएं खोली जायेगी उनका नाम एवं नाम परिवर्तन ट्रस्ट की कार्यकारी

*(Signature)*


भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100

ONE HUNDRED RUPEES



भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FH 262454

11/10/54

द्वारा यह विना धारणा। गैर-न्यायिक (एन.जी.एन.) की प्राथमिक, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सहायता कार्यों का समर्थन करना। किसी समिति द्वारा उसके आदेश पर उनके द्वारा सम्बन्धित विभिन्न संस्थाओं तथा-आवास, अनाथालय, वृद्ध-आश्रम, विकलांगता, वृद्ध आश्रम, विद्यालय, महाविद्यालय, व्यवसायिक, स्थानीय, प्राथमिक, विकलांगता, वृद्ध आश्रम आदि को ट्रस्ट (स्थापना) में किसी (समाहित) करण एवं इनके ट्रस्ट के विद्यमान सहायता (सहायता)। सार्वजनिक, सामुदायिक, शैक्षिक, शैक्षणिक, सामुदायिक एवं धार्मिक अनुष्ठानों का प्रवर्धन करना। आश्रम, मन्दिर व मठों की स्थापना व प्रवर्धन सहायता करना। इनके स्थापना एवं प्रवर्धन हेतु सन्धि एवं सहयोग प्राप्त करना। जनसंख्या विभाग, एड्स जागरूकता एवं अन्य स्वास्थ्य जनसंख्या तथा सामाजिक सुरक्षा, बुलाई, अन्वेषणों को निवारण में राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय सेवाओं का समर्थन-साधन से सहयोग करना एवं उनका क्रियान्वयन करना। अन्य सामाजिक प्रति (एजुकेशनल ट्रस्ट) व अन्य ऐसे संस्थाओं को स्थापना व सहायता करना। कृषि, श्रमकारी, पशुपालन, वृद्ध प्रवर्धन, छात्र प्रवर्धन, पानी उपकरण, अनुसंधान आदि, अनुसंधान आकाश, शिक्षक वर्ग का प्रवर्धन, प्रवर्धन निदेश, बालक एवं व्यवस्था का विकास, उद्योगीकरण का विकास, औद्योगिक सहायता/संस्कृतिक उद्योग, सहायता, कर्जा, शिक्षा (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, विविधता शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, स्त्री शिक्षा इत्यादि) संस्कृत शिक्षा, धर्म, आचरण एवं भारतीय विधायन, सन्धि विकास एवं मीनी उद्योग, विज्ञान एवं औद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना औद्योगिकी, महिला, बाल, वृद्धों का, लोक निर्माण, विद्या, ग्रामीण परिवर्धन, स्वास्थ्य एवं विकलांग, आयुर्वेद एवं होमोपैथिक विकलांग, परिवर्धन, परिवर्धन कल्याण, प्रवर्धन कल्याण, परिवर्धन, कला एवं स्थापना, नागरिकता एवं पृथक्करण, धर्म, श्रुत एवं धार्मिक कार्य, धर्म-वृद्ध, युवा कल्याण, छात्री एवं छात्रीय, बुनियादी, उच्च कल्याण

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

PH 262455

राष्ट्रीय ग्राम विकास, उद्योग, पर्यावरण, रसु, उद्योग, व्यवस्था, कृषि उद्योग, युवा विकास, ग्राम विकास, संस्कृति, नगर, विकास कल्याण, पंचायतीराज, आवासीय, बस्ती, राजागार एम गरीबी प्रमुख, नागरिक सुरक्षा तथा एवं विधायी संस्थाएँ, निर्वाचन निर्वाचन एवं पंचायतीराज, बैंकिंग सेवा, सुदम एवं वेदम, भूमि विकास एवं जल संचयन, राष्ट्रीय सूक्ष्मकरण, निक्षेप एवं औद्योगिकी,संतर्भिता, समन्वय, आर्थिक विकास, सुचना एवं जन जागरूक, आत्मसहायक कल्याण भूमि विपणन, निर्यात प्रोत्साहन, पुनर्गठन, प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन, प्राणी उद्योग, एड्स निरोधन, स्वयंसेवक, अल्पत राजत, फैक्टर एवं उद्योग, सहाय्यी समिति, संयोजक एवं वैकल्पिक शिक्षा कल्याण, संस्थागत वित्त एवं सहित सेवा, स्वतंत्र विकास, युवाजी शिक्षण, प्रशासन एवं प्रकल्प कल्याण, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रिमोट-सेविंग, अज्ञित प्रया, विज्ञान, वैज्ञानिक कार्य विकास संस्थान, विज्ञान प्रदर्श, इतिहास एवं लोक संस्थान, जागतिक सेवा परीक्षा, समीत, नाटक, स्नातकोत्तर संघान, सेनाजी, उपभोक्ता हेतु संस्थाएँ, भूमि सुधार, धनदायक, विचार, रिपट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कम्प्यूटर तथा अन्य सेवा के विकास हेतु संस्थाएँ आदि स्थापित करना व उनका विकास करना और प्रबन्धन करना। आयकर अधिनियम 1961 की धारा-12(1) तथा धारा-11(6) एवं संबंधित विधायी के अनुकूल तथा मा धन विभिन्न योजनाओं में समाप्त।


हिन्दी, संस्कृत, उर्दू तथा अन्य प्राच्य भाषाओं में प्राथमिक, माध्यमिक, इंटर कालेज, कृषि कालेज, डिग्री कालेज, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण, आधुनिक संस्थानों, निजी विश्वविद्यालय हिन्दी आदि की स्थापना एवं उनका प्रबन्धन करना।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FH-262452

संस्था को जन्म भरणे के लिए 129, 130वीं, 10/23 व 95एच की अंशगत मिलने वाली सुविधाओं को प्रदान करना।

उक्त संस्था व प्रदेश सरकार द्वारा बनायी जाने वाली समस्त परिशिष्टता को जमाना के लिए वे समाहित करना एवं परीक्षा सेवा के नीचे जीवन जमान करने वाले समस्त पेशित लोगों को सम्बन्ध एवं सम्पत्ति करना जादि।

6. ट्रस्ट कार्य क्षेत्र = सम्पूर्ण भारत

7. ट्रस्ट के घन सम्बन्धी कार्य

1. ट्रस्ट में जन सामान्य द्वारा या ट्रस्टियों द्वारा किया गया धन एवं धन यदि जो धनराशि ट्रस्ट में इजा खोले गये जाता किसी भी बैंक में जमा की जायेगी जो अनहित तथा ट्रस्ट के सदस्यों की पूर्ति में खर्च की जायेगी। धनराशि के निम्न-दिन करने तथा पैसा जाता की संभालन मुख्य ट्रस्टी/सचिव तथा कोषधरता के किसी एकल अथवा संयुक्त रूप से किया जायेगा जयका मुख्य ट्रस्टी द्वारा पेशित किसी ट्रस्टी/सदस्य द्वारा किया जायेगा।
2. इन ट्रस्ट द्वारा स्थापित सभी सम्पत्तियों की सम्पूर्ण फल वे अथवा सम्पत्तियों एवं सम्पत्त संभालन इसी ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा।
3. यदि किसी कारणवश ट्रस्ट द्वारा कोई भी संस्था समाप्त होती है तो इसी स्थिति में संस्था की फल एवं अथवा सम्पत्ति ट्रस्ट में स्वतः स्थित हो जायेगी।

8. ट्रस्टियों की नियुक्ति

सभी ट्रस्टी जायोजन सदस्य होंगे, किसी भी सदस्य के मृत्यु कारणत कोई भी ट्रस्टी 2/3 बहुमत या अन्ततः पर तब ट्रस्टी को सम्पत्तित पर सकता है जिसके लिए मुख्य पेशित इन्वार रूपसे होगा। यह नियम सम्बन्धित ट्रस्टी के अभावतः पर लागू नहीं

*(Handwritten signature)*

# भारतीय नैसर्गिक

दस  
रुपये  
रु. 10



TEN  
RUPEES  
Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश | UTTAR PRADESH

15AE 238747

॥

होगा। संस्थापक/मुख्य दफ्ती/सचिव/प्रबन्धक अपने उत्तराधिकारी के रूप में मुख्य दफ्ती/सचिव/प्रबन्धक अपने पूर्व अधिकारी द्वारा अपना जन्म उत्तराधिकारी को नियुक्ति करने का पूर्ण अधिकार सत्त संभल होगा, मुख्य दफ्ती में आकस्मिक कृत्तु पर कृता विधिक उत्तराधिकारी इत इस्ट का स्वतः मुख्य दफ्ती/प्रबन्धक/सचिव हो जायेगा।

## 9. संघसिद्ध संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों की नामित सदस्य

इस्ट द्वारा स्थापित विद्यालय/महाविद्यालय/अन्य तकनीकी संस्थाओं को इस्ट द्वारा संघसिद्ध होने की प्रबन्ध समितियों को कलत मुख्य दफ्ती एवं दफ्ती मिलकर कलतें यदि मुख्य दफ्ती व इन्दिशों द्वारा प्रबन्ध समिति पूर्ण नहीं होती है तो मुख्य दफ्ती एवं दफ्ती मिलकर आवश्यक सदस्यों को प्रबन्ध समिति द्वारा नामित करेंगे।

## 10. इस्ट प्रमुख

की स्थापित वर्गों को भी कारसनाथ वर्गों को इस्ट में मुख्य दफ्ती/संस्थापक दफ्ती/प्रबन्धक/सचिव कलतें जायेगे जो इस्ट प्रमुख होने कलतें मुख्यपदात इनके द्वारा नामित व्यक्ति अथवा कलतें उत्तराधिकारी पराधिकारी/मुख्य दफ्ती/प्रबन्धक/सचिव प्रमुख दफ्ती होंगी।

## 11. इस्ट की बैठक

कोई भी दफ्ती/प्रबन्धक/सचिवों की बैठक कलतें व कलतें व कलतें एक बार कलतें सिमाधी सूचना कलतें इस्टियों को 65 दिन पूर्व की जायेगी किन्तु विशेष बैठक कलतें को कलतें 24 घण्टे पहले सूचना कलतें कलतें जा कलतें है, बैठक कलतें की अनुपस्थित में



# भारतीय नैर न्यायिक

दस  
रुपये  
₹.10



TEN  
RUPEES  
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

15ME 238746

11

प्रत्येक/सभिक द्वारा चुननी आवेगी बैठक में समस्त दुरिद्यों (अ. 2/3 दुरिद्यों का होना आवश्यक है।)

12. बोर्ड ऑफ ट्रस्टी/प्रबन्ध कार्यकारिणी के अधिकारी एवं कर्तव्य

1. अध्यक्ष : बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के प्रत्येक सभा की अध्यक्षता करने तथा सेंट्रल बूकाने हेतु सभिक को निर्देशित करने।
2. मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/सभिक
  1. संश्लेष ट्रस्टी (न्याय) को सभी आवश्यक एवं वग आवश्यकता तथा पूरी हुई सभा के आवश्यक निर्देश देना।
  2. मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट (प्राप्त) के कार्यालय में विभिन्न कार्य निर्माण सम्मान्य होगे।
  3. सभा के प्रबन्धकारिणी समिति में सभी जेम्सों की अध्यक्षता करना।
  4. किसी भी विधायीय विषय पर समान मत होने पर एक निर्णयक मत देना।
  5. आवश्यक आवश्यकता पर हस्ताक्षर करने एवं करवायेना करना।
  6. ट्रस्ट के विषय के सम्बन्धित कार्यकारिणी का प्रबन्ध एवं कार्यकारिणी का निर्माण करना।
  7. ट्रस्ट (न्याय) द्वारा एवं आर्थिक नीतियों का निर्धारण करना एवं न्याय के विकास के लिए विभिन्न संस्थाएँ एकत्रित

15ME

# भारतीय नैर न्यायिक

दस  
रुपये  
रु. 10



TEN  
RUPEES  
Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

15AE 238745

10

- करता व दृष्ट के परामर्शियों व सदस्यों की सांख्यिकित्त कार्यकारी में जयगत करना।
- \* मुख्य दृष्टी दृष्ट संस्थाओं के लिए भूमि-मूल्य का जय बीजापदण करना किसी अन्य प्रकार से अस्तित्व करता एवं जारी की वित्तव्यय की पेशी करना।
  - मुख्य दृष्टी दृष्ट दान संगठित किसी संस्था की धन-अंकन समितियों को दृष्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए वेध या सशिर सकता है।
  - 10 मुख्य दृष्टी दृष्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दान-विदेश से अनुदान/दान प्राप्त कर सकता है एवं उसे खर्च कर सकता है। दृष्ट के लिए परामर्श, कन्वर्, आग जगत किसी भी व्यक्ति, फर्म, एकाधिकरण, किसी अन्य न्याय का कर्तव्यव्यय जारी दायरों से प्रस्तावित किया जा सकता है, बीजापद करता एवं विवेकानुसार उसे जय करता।
  - 11 कक्षा के उपाध्यक्षों की नियुक्ति अनुशासनानुसक कार्यकारी पदाध्यापि, निरन्तर व कक्षास्थानी करने का अधिकार संस्थागत दृष्टी उपाध्यक्ष/सचिव के पास होगा।
  - 12 संस्थापक/मुख्य दृष्टी किसी भी समय किसी सदस्य को कर्तव्य अनुसार 2/3 बहुमत से निकाल सकता है एवं प्राधिकरण संस्थापक दृष्टी 1/4 उसके उपाध्यक्षों पर लागू करी होगा।

# भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये  
रु. 10



TEN  
RUPEES  
Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

15AE 238744

11

- 13 :- किसी भी प्राण्य उद्देश्य से किसी अन्य ट्रस्ट (न्याय) समित्त/समित्त का संवाहन एवं प्रत्येक विधान करने (ट्रस्ट) में कर संबंधित है।
- 14 :- ट्रस्ट में किए गयेन सदस्य बनाने हेतु अपनी सहमति, अनुमति लिखित रूप में प्रदान करना तथा ट्रस्ट के नियमों, एग्रीमेंटों के विपरीत कार्य करने वाले ट्रस्टी को ट्रस्ट से हटाकर करना।
- 15 :- ट्रस्ट (न्याय) द्वारा संशोधित संख्याओं, कार्यक्रमों, क्रिया-कलापों में निर्धारित बातों व तथान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को न्याय से कार्य हेतु नियुक्त करना, उनके विनाया अनुशासनगत कार्यवाही करना, पदोन्नति एवं हदयुक्त करना। न्याय के ऐसे कार्य को किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल आदि में विवादित नहीं किया जा सकता न ही चुनौती दी जा सकेगी।
- 16 :- ट्रस्ट द्वारा संशोधित विभिन्न संख्याओं, कार्यक्रम, क्रिया कलापों आदि के संशोधन प्रस्तावों एवं तथान का संवाहन करना। ट्रस्ट के धन को ट्रस्ट के विभिन्न संख्याओं के विकास एवं वित्तियुक्त करणों में व्यय करना।
- 17 :- ट्रस्ट की मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव को आवश्यकतानुसार व्यापारिक मुद्दों के प्रत्यान प्रस्ताव लिखित अनुमतिपत्रों जारी एवं वा नियुक्त करणों जायेगा।

# भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये  
रु. 10



TEN  
RUPEES  
Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

15AE 238743

12

- 10 : दस्त के अंतर् में समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही का प्रतिनिधिक रूप का ही अनुमति से ही जारी की जायेगी।
- 10 : संस्था के समस्त प्राथमिक दस्तावेजों, जिन अनुदान पत्रों, बैंकों, दस्ती, सचक मिलेच्छे, विज बाउण्डर पर प्रस्तावित किया।
- संबन्ध दस्ती : बैंकों में धान लेकर दस्त के सर्धान्य हित से निर्णय लेना एवं दस्त की योजनाओं में व्यवस्थित षाह से सहयोग प्रदान करना।

### 13. लिखा परीक्षक

दस्त के मुख्यदस्ता के सर्ग दर्शन एवं सहायि से किसी भी दस्ती सदस्य को दस्त का लिखा परीक्षक नियुक्ति किया जा सकेगा एवं मुख्यदस्ती द्वारा अनुपयुक्त समझे जाने पर हटाया जा सकेगा। दस्ती प्रमुख के सर्ग दर्शन एवं सहायि से ही दस्त के सदस्यों को प्राप्ति करने हेतु धन अथवा व्यय किया जा सकेगा। लिखा परीक्षक दस्त के सम्पूर्ण आय व्यय का हिसाब किताब का प्रवन्ध लेखा जोखा रखेगा एवं निरन्तर रूप से समस्त अनुसार आडिट आदि करवाया। संस्था के बाव-बाव पत्र पत्रों की सच अर्थात् पर प्राप्त हेतु मुख्यदस्ती के सचक प्रस्तुत करेंगे।

अंतिम में दस्त के नाम कोई अन्य सम्पत्ति नहीं है। फक्त सार्वजनिक दस्त की सम्पत्ति ही है।

# भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये  
₹.10



TEN  
RUPEES  
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

15AE 238742

13

## 14. संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों का गठन

1. ट्रस्ट द्वारा विभिन्न संस्थाओं के लिए प्रबन्ध समिति का चुनाव इन्हीं दृष्टियों द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए मुख्यदफ्तरी चुनाव अधिकारी को नियुक्ति करेगा।
2. ट्रस्ट द्वारा स्थापित संस्थाओं/महाविद्यालयों की प्रबन्ध समितियों के पदाधिकारियों के अधिभार करीब निर्धारित प्रत्यक्षीय योजना के अनुसार होंगे।
3. ट्रस्ट द्वारा सम्बन्धित संस्थाओं/महाविद्यालयों के संभालने के लिए प्रबन्ध समिति का गठन मुख्यदफ्तरी व ट्रस्टी मिलकर करेंगे तथा यदि प्रबन्ध समिति पूर्ण नहीं है तो मुख्यदफ्तरी व ट्रस्टी अन्य मापदण्डों को प्रबन्ध समिति हेतु नामित करेंगे।
4. ट्रस्ट द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय, तकनीकी विद्यालय/संस्थान की प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों का गठन-मुख्यदफ्तरी व ट्रस्टी मिलकर करेंगे। सम्बन्धित संस्थान/महाविद्यालय से निम्न पदाधिकारी होंगे।

1. अध्यक्ष	दस
2. सदस्य	छ

बीजे और टीएटी द्वारा दिया गया निर्णय सर्वमान्य होगा, कोई भी ट्रस्टी जो ट्रस्ट के विरोधी पदाधिकारियों सम्मिलित पाया जाता है उसे बीजे और टीएटी 1/2 बहुमत निष्कासित कर सकते हैं। बीजे और टीएटी अपने पदाधिकारियों एवं सदस्यों को आवश्यकतानुसार अधिभार देने हेतु स्वयं होगा।

# भारतीय नैऋत्याधिक

दस  
रुपये  
रु. 10



TEN  
RUPEES

Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


15AE 238741

14


आम: माह दुसरे मीठ मुळीं दुसरीं दान सजी व सुशीं वे दिनां महाराजे, जिनां किलीं नागापन दसाक से अपने पूर्ण भोज हवाक से परिशरी, जलीं से सल्ला महाराज: का वे दिस्त दिव्य लतिके स्वगत रहे जीव सप्य पर काम आवे।

सुसगाक / दिवाक - 25.02.2020  
बनाक -

हवाकर मुला दुसरी / कपक



*(Handwritten signature)*



*(Handwritten signature)*

(सहित बर्ग)

1. मिलेश कुमार पुत्र इंदर लाल  
पान व पोस्ट - बनपुर विद्या  
ला - जयपुर, जिला - धर्मपुर नगर  
पी - 221642/22



2. रमेश सिंह पुत्र अनिल सिंह *(Handwritten signature)*  
सिवनाम, धारा नगर, जयपुर, जयपुर  
पी - 221642/22

दवाकाली -

*(Handwritten signature)*  
(सहित बर्ग)

मलदिकाली -

*(Handwritten signature)*  
(सहित बर्ग)  
एन-पी-के-  
पी - 221642/22


**जम्मू व कश्मीर**  
**GOVERNMENT OF JAMMU & KASHMIR**


 नाम: \_\_\_\_\_  
 पता: \_\_\_\_\_  
 आधार संख्या: \_\_\_\_\_  
 जन्म तिथि: \_\_\_\_\_

**9499 4568 3567**  
 मो. नं. 9499 4568 3567



**मेरा आधार, मेरी पहचान**




**जम्मू व कश्मीर सरकार का पत्र**  
**GOVERNMENT OF JAMMU & KASHMIR**

**आधार कार्ड**  
**AADHAAR CARD**

नाम: \_\_\_\_\_  
 पता: \_\_\_\_\_  
 आधार संख्या: \_\_\_\_\_  
 जन्म तिथि: \_\_\_\_\_

**9499 4568 3567**  
 मो. नं. 9499 4568 3567



14/09/2020

25/09/2020

1/0  
10-0

श्रीमान श्री. सुधीर कुमार

आवेदन सं. : 202000021013359

वही संख्या 4 सिलेब सख्या 201 के मुद्दा 241 से 172 तक  
(अमान 107 पर दिनांक 2002-2020 की रजिस्ट्रेशन किया गया।)

रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर:



सुधीर कुमार  
जन निबंधक - सहाय प्रमुख  
संख्या 202000021013359







भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA




नाम / नाम

Harshit Singh

जन्म तिथि / DOB : 17/07/1998

पुरुष / MALE



9746 8089 6088

मेरा आधार, मेरी पहचान

Harshit Singh

974680896088



भारतीय विज्ञान पहचान प्राधिकरण  
NATIONAL IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:

सन्तोषिन, अमिन सिटि, पोस्ट भवानीप्राह्लाद, मण्डल नगर  
कल्याणपुर, आज़मगढ़, उत्तरप्रदेश,  
पिन कोड - 276001

Address

S/O: Anu Singh Post-Bhawaniath Prahlad  
Nagar Kalyanpur Azamgarh Azamgarh  
Azamgarh Uttar Pradesh - 276001

9746 8089 6088

